क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

क्रमांकः–राप्रनिमं/क्षे.का./किश./टेण्ड़र/4549-4551 दिनांक 18.03.2021

खुली निविदा सूचना सं. 01/2020–21

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़ को एक वर्ष हेतु दर अनुबंध पर **मानव संसाधन सेवाऐं** उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्टत पंजीकृत बोलीदाता/सवेंदक जो कि राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवा कर (GST) आय कर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से डबल कवर सिस्टम के अन्तर्गत मुहरबन्द निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	अमानत राशि/निर्धारित घोषणा पत्र	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	निविदा खोले जाने की तिथि
1.	3-(Three)- कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (For Office Work)	7.80 लाख	500/-	वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/ जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 दिनांक 23/12/2020 में उल्लेखित मानक प्रारूप में घोषणा पत्र, जिस पर 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिषत सरचार्ज देय हो। (प्रारूप संलग्न)	25/03/2021 (सांय 6:00 बजे तक	26/03/2021 (दोपहर 3:00 बजे)
2	2-(Two)- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
3	1-(Driver)- डाईवर					

1. उपरोक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 19/03/2021 से 25/03/2021 तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है तथा दिनांक 25/03/2021 सांय 06:00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करा सकते है।
2. निविदा फार्म वेबसाईट से डाउनलोड लिये जाने की स्थिति में निविदा शुल्क की राशि नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप **MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT KISHANGARH** के नाम से जारी रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट (मूल) निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
3. अमानत राशि के स्थान पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/2017 दिनांक 23/12/20 में उल्लेखित मानक प्रारूप में घोषणा पत्र, जिस पर 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिषत सरचार्ज देय हो प्रस्तुत करना होगा एवं प्रतिभूति राषि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के लिये डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT KISHANGARH के नाम से प्रस्तुत करना होगा।**
4. निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते विभागीय वेबसाईट http:/www.rpcb.rajasthan.gov.in ,or sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

Deepak Tanwar.

(दीपक तॅवर)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान ए.सी.पी. (आई.टी.सेल) महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि टेण्डर प्रपत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
2. सम्पादक, दैनिक भास्कर\किशनगढ को प्रेषित कर लेख है कि इस निविदा को एक क्षेत्रीय स्तर पर न्यूनतम साईज/स्पेस में, निदेषालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर प्रकाषित कर, बिल दो प्रतियो में इस कार्यालय में प्रस्तुत करावें।
3. कार्यालय नोटिस बोर्ड रा0 प्र0 नि0 म0 किशनगढ।

Deepak Tanwar.

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

प्रपत्र अ–तकनीकी निविदा (Technical Bid)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, ड्राईवर, एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाऐं किराये पर लिये जाने हेतु

1. संदर्भ : **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ**
   की बोली सूचना संख्या– ....दिनांक.....................

2. बोलदाता/संवेदक का नाम ....
3. डाक का पता ....
   ....
4. बोलीदाता फोन/मोबाईल नं. ....
5. ई–मेल ....
6. बैंक का नाम ....
   आईएफसी कोड ....
   खाता संख्या ....
7. किसको सम्बोधित किया गया है :– **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़**
8. निविदा बोली शुल्क रूपये : (1) 500/–रू. (पांच सौ मात्र)
   : (2) जमा रसीद संख्या..................दिनांक........
   डीडी क्रमांक...........................दिनांक............
   राशि...................(**DD**. MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL **BOARD PAYABLE AT KISHANGARH के पक्ष मे देय होगा।)**
9. निविदा बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें स्वीकार है, तथा उन पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन/ड्राईवर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु दरें प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई है।
11. बोली अमानत राशि के स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़ को सम्बोधित करते हुये वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/2017 दिनांक 23/12/20 में उल्लेखित मानक प्रारूप में घोषणा पत्र, जिस पर 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिषत सरचार्ज देय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।

Deepak Tanwar.
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ़, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

12. बोलीदाता / संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगीः–

क.सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970। (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत				
7.	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 50रू. के नॉन ज्यडिषियल स्टाम्प पर शपथ पत्र				
8.	प्रामाणित बैंक खाता पासबुक / स्टेटमेन्ट की छायाप्रति				

13. बोलीदाता / संवेदक द्वारा किसी केन्द्र / राज्य / स्वायत्त संस्थाऐ / निगम / मण्डल / समिति / आयोग में कम्पुटर प्रिन्टर मय प्रषिक्षित कार्मिक / मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / ड्राईवर) का कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका निम्नलिखित विवरणनुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर दस्तावेजो की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्केन कर बोली दस्तावेजो के साथ लगाना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

कम संख्या	विभाग / संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्पयूटर प्रषिक्षित कार्मिक / मेनपावर (ड्राईवर / चतुर्थ श्रेणी) का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये गये कम्युटर प्रषिक्षित कार्मिक / मेनपावर (ड्राईवर / चतुथ श्रेणे) की समयावधि	संबधित विभाग / संस्थान से जारी संतोश जनक सेवा का प्रमाण का अंकन
1	2	3	4	5

14. संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।
15. निविदा खोलने की दिनांक को यदि अवकाश घोषित होता हैं तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी ।
16. राज्य में दिनांक 26–01–2013 से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 प्रभावशील हैं । अतः उक्त निविदा पर उक्त अधिनियम व नियम के सभी प्रावधान प्रभावशील होगें ।
17. संलग्न प्राईस शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेंगा।
18. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र किशनगढ (राजस्थान) होगा ।
19. पूर्व में किये गये कार्य का कार्यादेश / अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
20. मै / हम क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़ द्वारा जारी की गई खुली बोली आमंत्रण सूचना कमांक.......................दिनांक.....................में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम..

क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

प्रपत्र–ब वित्तीय निविदा (Financial Bid)

कार्य का नाम– कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, ड्राईवर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाऐं किराये पर लिये जाने हेतु

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि / उपकरण किराया (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई रू)	कुल राशि रू
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (For Office Work)	उच्च कुशल	7774/– (प्रति कार्मिक)	03 (तीन)		13.00%	3.25%			
3	ड्राईवर	कुशल	6474/–	01 (एक)		13.00%	3.25%	–		
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल	5850/–	02 (दो)		13.00%	3.25%	–		

1. उपर्युक्त तालिका के कम संख्या (1) हेतु स्तम्भ संख्या 5,8,9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी। स्तम्भ संख्या 3 में दर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
2. उपर्युक्त तालिका के कम संख्या (2) हेतु स्तम्भ संख्या 5, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी। स्तम्भ संख्या 3 में दर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
3. उपर्युक्त तालिका के कम संख्या (3) हेतु स्तम्भ संख्या 5, 9 एवं 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी। स्तम्भ संख्या 3 में दर न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।
4. संवेदक / बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
5. स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में, ;0द्ध शुन्य, एवं (–) ऋणात्मक में राशि स्वीकार नहीं होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ़, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिन मालों/स्टोर्स/उपकरणों/सेवाओ के लिए निविदा दी हैं, उनका मैं/हम बोनाफाईड/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/ सो सेलिंग/ विपणन एजेण्ट/सेवा प्रदाता हैं ।

यदि यहा घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं, रद्द कर दिया जाऐं ।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय मोहर

1. निविदादाता का नाम :..........

   मोबाईल नम्बर :..........

2. पूर्ण पता :..........

   ....

   ....

3. टेलीफोन नम्बर (निवास) :..........

   (कार्यालय) :..........

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

A. Annexure- General Terms & Condition of Bid & Contract

Important Instruction: - The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 [hereinafter called the Act] and The Rajasthan Transparency in Public procurement Rules 2013 (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore the bidders are advice to acquaint themselves with the provision of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and Rules and this bidding document the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगें।
2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर, उक्त लिफाफो को एक बडे लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर **''कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन/ड्राईवर/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किराये पर लिये जाने हेतु निविदा''** अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल किशनगढ़'' को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी, यदि दरे शब्दो एवं अंको में अलग–अलग दर्षायी जाती है तो राजकीय हित में दोनो में से जो कम होगी, वही दर मानी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये। निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।
4. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा फॉर्म के साथ निविदा शुल्क राशि रूपये 500/– नगद अथवा **MEMBER SECRETARY, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT KISHANGARH** के पक्ष में अनुसूचित बैंक में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी, यह राषि NON Refundable होगी। इसके अतिरिक्त अमानत राषि के स्थान पर क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़ को सम्बोधित करते हुये वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/ जीएण्डटी– एसपीएफसी/2017 दिनांक 23/12/20 में उल्लेखित मानक प्रारूप में घोषणा पत्र, जिस पर 50 रूपये स्टाम्प ड्यूटी एवं 30 प्रतिषत सरचार्ज देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा। SPPP पोर्टल से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ भी निविदा शुल्क देय होगा। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं होगा।
7. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर नियमानुसार स्टॉम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
8. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
9. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 2.5% (ढाई प्रतिशतद्ध राशि कार्य सम्पादन

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

प्रतिभूति के रुप में ड़िमान्ड़ ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में **REGIONAL OFFICER, RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD, PAYABLE AT KISHANGARH** के नाम पर जमा करानी होगी एवं 500 रुपये के नॉन–ज्यूडिषयल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम निर्धारित एस.आर. प्रारुप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व तथा श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजूदरी दरो के अनुसार अनुबंधित कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व संबंधित निविदादाता/ठेकेदार का होगा। ठेकेदार द्वारा कार्यालय में अनुबंधित कार्मिको को श्रम विभाग राजस्थान सरकार की नवीनतम अधिसूचना में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नहीं होगा, यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरे बढाई जाती है तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निविदादाता/ठेकेदार को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राषि का भुगतान किया जा सकेगा।

11. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत निविदादाता/संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली मे भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रुप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। कार्य का अनुभव रखने वाली (अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जावे) पंजीकृत फर्म / व्यक्तियो द्वारा ही निविदाएं भरी जावेगी। फर्म होने की दषा में पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी।

12. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता/द्वारा नियोजित श्रमिको को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रुप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते मे जमा कराई गई राशि का विवरण इस कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रुप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातो मे जमा कराई गई राशि के विवरण से अद्योहस्ताक्षरकर्ता की संतुष्टि पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

13. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और निविदादाता/संवेदक का अंशदान शामिल होगा। निविदादाता/संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिको के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही निविदादाता/संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा। ठेकेदार/फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलो से वैधानिक कटौतियां एवं टी.डी.एस. व अन्य टैक्स की वसूली नियमानुसार की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की स्वयं की होगी।

14. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) की राशि अतिरिक्त रुप से देय होगी। सभी प्रकार के करो को जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता/संवेदक की ही होगी। निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रुप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) राशि की जमा कराने के प्रमाण स्वरुप चालान की प्रति प्रस्तुत नही किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नही किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) के सबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

15. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा। ठेके पर उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की सूची नाम, पते सहित सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी तथा समय समय पर ठेके कर्मियों के परिवर्तन किये जाने/हो जाने की दषा में क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड , वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
16. श्रम विभाग के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र /राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में इसके परिणामों/दायित्वो के लिये निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता स्वयं उतरदायी होंगे।
17. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिको के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उतरदायी होगा।
18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस. आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिए उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. यदि निविदादाता/संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किये जाने की शिकायत उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रुप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता को क्मइंत करने की कार्यवाही करेगी।
20. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मध्यनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए इस पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
21. कर्मचारियों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारन्टी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नही करने की स्थिति में निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होने पर अनुबंधित निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
22. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
23. ठेकेदार को मासिक भुगतान संतोषप्रद कार्य होने पर किया जाएगा। कार्यसम्पादन के संतोषप्रद होने का मापदण्ड इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा। किसी षिकायत अथवा ठेकेदार की लापरवाही पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित कटौती कर भुगतान किया जा सकेगा, अधिक शिकायत होने पर कटौती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी अन्य संविदा कर्मियो को लगाकर उनसे कार्य करवा लिया जावेगा, जिसका खर्चा ठेकेदार के

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

बिल से काट लिया जावेगा एवं सात दिवस के नोटिस से अनुबन्ध को निरस्त भी किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रषासन के निर्देषो की पालना नही की जाती है तो अनुबंध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, किशनगढ़ को होगा।

24. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौपेगा या भाडे (नइ.समज) पर नही देगा।
25. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
26. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 7 दिन मे कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
27. मूल्यांकन की कसौटी–बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
28. बोली का अपवर्जन (Exclusion):– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 की धारा 25 मे उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
29. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):–
    कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि का पूर्ण या आंषिक रुप से निम्नांकित मामलों मे समपहरण ;थ्वतमिपजनतमद्ध किया जा सकेगाः–
    (क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
    (ख) जब बोलीदाता सम्पर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा। इस संबंध में उपापन संस्था (इस कार्यालय/विभाग) का निर्णय अंतिम होगा।
30. भुगतानः–
    (प) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारुप में बिल प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस मे प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान मे होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
31. निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिको को निविदादाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना पहनना आवष्यक होगा। निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियो हेतु निविदादाता स्वयं उतरदायी होगा।
32. ठेकेदार की ठेका अवधि के दौरान संविदा पर कार्यरत सभी संविदाकर्मियां की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी पर आने जाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए मण्डल उतरदायी नही होगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
33. कर्मचारी द्वारा कार्य न करने, ताश खेलना, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, घ्रुमपान–गुटका–पान–शराब एवं किसी भी प्रकार का व्यसन लेने तथा अनपेक्षित आचरण एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की षिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
34. स्वीकृत ठेके की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसे जमा करने हेतु बाध्य रहेगें।
35. सफल निविदादाता द्वारा पूर्व में कार्य व्यवहार मे दोषी पाये गये कार्मिको को नहीं रखाा जायेगा तथा इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय की पूर्व सहमति आवष्यक होगी।
36. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ठेकेदार के संविदा पर लगे कर्मचारियो के बिलो के भुगतान में अगर किसी कारणवष देरी होती है तो भी कर्मचारियो को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। कर्मचारियो को

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा। देरी से भुगतान करने पर 500/– प्रतिदिन के हिसाब से क्षेत्रीय कार्यालय में शास्ति पैनेल्टी की राषि जमा करवानी होगी।

37. कर्मचारी कार्य के दौरान सोते हुए पाये जाने पर या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा। तथा ठेकेदार से पैनेल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान काटा जायेगा।
38. अगर ठेकेदार अपना कार्य निष्चित अवधि के बीच में छोडता है व कर्मचारियो को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा अमानत राषि के स्थान पर उल्लेखित घोषणा पत्र अनुसार कार्यवाही कर कार्य सम्पादन राषि जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में उसकी समस्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओ में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय किशनगढ़ को होगा।
39. न्यूनतम निविदा दरे एक से अधिक निविदादाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में :–
    न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरो की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता, स्थानीय परिस्थितियों, कार्य अनुभव आदि को मद्देनजर रखते हुए उपापन समिति की सुविधानुसार गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम दर दाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नही होगा और न ही क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी।
40. निविदादाता द्वारा स्वस्थ एवं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया फिट 18 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का निविदादाता द्वारा नियोजन नही किया जायेगा।
41. सषर्त निविदाएं स्वीकार नही होगी।
42. निविदादाता स्वयं /उसके द्वारा लगाये गये कार्मिको के संबंध में समस्त कानूनी दायित्व/श्रम कानून के पालना की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।
43. किसी भी विवाद के समय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़ का निर्णय अंतिम होगा, जो पूर्णतया मान्य एवं मंजूर होगा।
44. उपर्युक्त शर्तो में किसी भी शर्त में षिथिलता देने या हटाने या नई शर्तो को जोडने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, किशनगढ़ को होगा। बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..
मोबाईल नं.....................................

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये शर्तें:–

1. **शैक्षणिक योग्यता** :–

   (i) कम्प्यूटर ऑपेरटर को विडोंज/लाईनेक्स एन्वायरमेंट ओपरेटिंग सिस्टम का ज्ञान, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेड शीट व इंटरनेट का ज्ञान /अनुभव एवं कार्यालय संबंधी कार्यो का निष्पादन हेतु कम्प्यूटर का कार्य करने तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी की टाईपिंग में दक्ष होना आवश्यक है।

   (ii) कम्प्यूटर ऑपेरटर की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक/स्नाकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।

   (iii) कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिये।

2. **मशीनों का विवरण** :–

   निविदादाता द्वारा स्थापित की जाने वाली मशीनों का निम्नानुसार या इससे उच्च श्रेणी में होना आवश्यक है।

   (i) **Computer**-Intel Core i3/Equivalet AMD based computer or higher speed RAM 2/4 GB OR higher, Hard disk 250GB or more 15'' Monitor/TFT or biggar 10/1001000Mbps Lan card, cd/DVD writer standards keyboard, optical mouse, standard serial, parallel & USB Ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS office, responsibility of software license will be borne by the contractor.

   (ii) **Printer**:-Black and White laser printer with speed 15ppm or more, for specific needs, Do matrix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

   (iii) **UPS**:- Online/Offline UPS for abve Computer and printer with 30 minutes battery backup.

3. यदि कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाये संतोषप्रद नहीं पायी जाती है तो निविदादाता को तुरंत इसके स्थान पर नया कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाना होगा।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मषीन (मैन विद मशीन) पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन 9.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्य संपादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेंगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन (मैन विद मशीन) की संविदा पर उपलब्ध कराने हेतु शेष अन्य शर्तें वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र F2-(1)SPFC/2017 Dated 30-04-2018 के अनुरूप होगी।
6. यह कि किसी माह में चार कार्य दिवस अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जावेगा इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने तक चाहे ऑपरेटर की गैर हजारी के कारण या अन्य किसी भी खराबी के कारण हो तो प्रतिदिन नियमानुसार कटौती की जावेगी।
7. यदि कम्प्यूटरों की चोरी या किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः निविदाता चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
8. कार्यालय में कार्य की आवश्कयता को देखते हुये किसी भी दिन किसी भी समय ऑपरेटर को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेंगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ़, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

9. कोई भी कम्प्यूटर ऑपरेटर बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित नहीं रहेगा और यदि वह अनुपस्थित रहता है तो निविदादाता को उसके स्थान पर किसी अन्य योग्य कम्प्यूटर ऑपरेटर को कार्यालय में भिजवााना अनिवार्य होगा।
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी/वृद्वि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नही दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा।
11. कम्प्यूटर ऑपरेटर के कार्य का अनुभव रखने वाली पंजीकृत संस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ़

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम...

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ़, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

General Trems& Conditions of Request for Quotation:-

Important Instructions :- The law relating to procurement " The rajasthan transparency in public procurement act, 2012" {hereinfafter called the act} and the rajasthan transparency in public procurement rules, 2013" {hereinfafter called the rules} under the said act have come into force which are available on the website of state public procurement portal http://sppp.raj.nic.in. Therfore, the bidders are advised to acquaint themselves will the provisions of the act and the rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the procision of the act and the reles and this bidding document, the provision of the act and the rules shall prevail

1. बोलीदाता को बोलियॉं (Request for Quotation) पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिस पर " वाहन चालक कार्य के लिए तकनीकी बोली अंकित हो, तकनीकी बोली में वर्णित दस्तावेज, जिसमें वर्णित समस्त शर्तो के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों, होंने चाहिए। द्वितिय लिफाफा जिस पर वाहन चालक के लिए वित्तीय बोली अंकित हो मे प्राईस शिड्यूल में दरें अंकित कर प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोलियो के लिफाफे एक बडे लिफाफे में बन्द कर लिफाफे पर" वाहन चालक हेतु निविदा " अंकित कर प्रस्तुत करने होंगे।
2. तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
3. कार्य के समय लागू जी0एस0टी0 की दरे मान्य होगी।
4. बोलीयां उचित रूप से मोहर बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी। तकनीकी बोली के लिफाफे में तकनीकी बोली प्रपत्र में वर्णित बिन्दु संख्या 13 में 1 से 8 तक के प्रमाण पत्र बैक खाता विवरण एवं , बोली प्रपत्र एंव शर्तें मय हस्ताक्षरित रखी जावेगी।

7 बोलीदाता को अपने बैंक खाते का विवरण मय बैंक का नाम ,ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड एंव बैंक खाता संख्या संलग्न करना होगा।

8 फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना को लिखित रूप से क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ को अविलम्ब संसूचित किया जावेगा तथा इस परिवर्तन से संविदा/बोली के अधीन किसी भी दायित्व से पूर्ववर्ती फर्म एवं उसके पूववर्ती सदस्यों को मुक्त नहीं किया जावेगा।

9 संविदा के संबंध में नई फर्म के तब तक कोई नया/नये भागीदार स्वीकार नही किया जायेगा/किये जावेगां जब तक की वह/वे समस्त निबन्धों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न कर दें। अभिस्वीकृति हेतु सफल बोलीदाता की रसीद को या किसी भागीदार की रसीद को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जावेगा और उससे वे सभी आबद्ध होगें और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।

10 बोली प्रपत्र स्याही से या टंकण से भरे जावेंगे। पैन्सिल से भरी किसी भी बोली पर विचार नही किया जावेगा। बोलीदाता प्रपत्र एवं शर्तों अथवा अन्य संबंधी दस्तावेजो के सभी पृष्ठों पर अपने हस्ताक्षर करेगा और मोहर अंकित करेगा, जो उसकी शर्तें स्वीकार करने का प्रमाण होगा।

11 दरे अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित की जावेगी। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या उपरिलेखन नही किया जावेगा। ऐसा कोई है तो बोलीदाता को इस पर अपने लघु हस्ताक्षर मय दिनांक करने होंगं अन्यथा बोली निरस्त कर दी जावेगी।

12 दरें बोली स्वीकृती की दिनांक से 31.03.2022 तक के लिए वैध एवं मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाया भी जा सकेगा।

13 राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एंव इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।

14 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

15 राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

16 संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुश्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ़

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

17 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

18 श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

19 संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान भाामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

20 संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/ बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पश्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

21 राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

22 संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकां को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/ बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एंव सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

23 श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/ दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

24 यदि संवेदक/बोलीदाता एंव कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रंबधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

25 नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

26 कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने /ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

27 यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आव यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

28 यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

29 वाहन चालक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी यो उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। वाहन चालक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ़, (अजमेर)

Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

30 खुली बोली में सफल बोलीदाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में वाहन चालक उपलब्ध करवाना न्यूनतम बोलीदाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

31 अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर वाहन चालक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन वाहन चालक, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जोयगी।

32 इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन वाहन चालक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

33 बोली की विधि मान्यता बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

34 बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।

35 मूल्यांकन की कसौटी–बोली (Request for Quotation) में सफल /क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बिड का मूल्यांकन किया जायेगा।

36 बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

37 ड्राईवर परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्त लाईसेंस शुदा होना चाहिये एवं वर्दी में रहना चाहिये। वर्दी बोलीदाता द्वारा ही दी जावेगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

38 वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।

39 आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

40 वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा/रजिट्रेशन/प्रदूषण/वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो वैधानिक रूप से आवश्यक है) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये।

41 मण्डल के वाहन में किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने या दुर्घटना होने पर सम्बन्धित व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

42 वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चालान होने पर बोलीदाता का ही उत्तरदायित्व होगा एवं मण्डल उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।

43 मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए वाहन चालक को हटा सकता है।

44 वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ–सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा।

45 भुगतानः–

(प) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल दो प्रतियों प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

46 परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टार के मूल्यो के लिए की जायेगी जिनका बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है।

(क) विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलॅम्ब के लिये –2.50 प्रतिशत

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए – 5.00 प्रतिशत

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिकअवधि के लिए– 7.50 प्रतिशत

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10.00 प्रतिशत

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधा दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

(छ) यदि बोली दाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की सेवा सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारिख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिधार्रित क्षति सहित या रहित की जायेगी।

47 बोली के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ से सम्पर्क किया जा सकता है।

मै/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ द्वारा जारी की गई बोली सूचना (Request for Quotation)......... दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तो तथा संलग्न पत्रो (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण मे हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बिड के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता की जॉच मेरे/हमारे द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सही है। यदि बिड प्रक्रिया या बिड प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजो की प्रमाणिकता असिद्व होती है तो इसके लिए मै/हम पूर्ण रूपेण उत्तरदायी रहूॅगा/रहेगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बिड/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्व कानून/विधि सम्मत दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

उपरोक्त शर्ते मेरे द्वारा पढ़ ली गई है जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय नाम व पता

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

–: ड्राईवर की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ट नियम एवं शर्ते:–

1. बोलीदाता को क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं किशनगढ पर वाहन चालक का कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा (Request for Quotation) प्रस्तुत करनी होगी।
2. बोलीदाता को रू 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र इस कार्यालय में कार्य आदेश मिलने के सात दिवसों मे जमा कराना होगा अन्यथा अमानत राशि (Earnest Money) जब्त कर कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। अमानत राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर अनुबंध के सन्तोषजनक निर्वाह की स्थिति मे लिखित प्रार्थना पत्र देने पर शीघ्रताशीघ्र लौटा दी जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा यदि संविदा के किन्ही उपबधों एवं शर्तो में उल्लघंन पाया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड (Penalty) लगाने का अधिकार होगा।
3. क्षैत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा की अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति मे नोटिस देकर अनुबन्ध का समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबन्धता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नही कर सकेगा।
4. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदा या संलग्न दस्तावेजो मे कोई मिथ्या तथ्य या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रदद् करने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, किशनगढ को होगा।
5. राज्य मण्डल इस निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है राज्य मण्डल के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नही होगी।
6. निविदा (Quotation) की दरे मूल निविदा प्रपत्र पर ही प्रस्तुत की जानी आवश्यक है मूल निविदा प्रपत्र के अभाव मे निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
7. बोलीदाता को कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एवं एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पजींकृत होना आवश्यक है । आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या एवं सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन संबन्धी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
8. कार्यो के विवरण मे दिये गये कार्यो को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप मे अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप मे उत्तरदायी नही होगा ।
9. कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधायी निधि एवं अन्य कोई नियम जो ठेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमो के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
10. निविदा की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना कोई नोटिस दिये निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ड्यूटी पर कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना, अथवा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा।
12. निविदा की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर क्षैत्रीय अधिकारी, किशनगढ का निर्णय अन्तिम होगा जो बोलीदाता को मान्य होगा।
13. ड्राईवर परिवहन विभाग द्वारा जारी उपयुक्त लाईसेंस शुदा होना चाहिये एवं वर्दी में रहना चाहिये। वर्दी बोलीदाता द्वारा ही दी जावेगी। विभाग द्वारा इस हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
14. वाहन चालक द्वारा वाहन की लॉगशीट प्रतिदिन संधारित कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाई जावेगी।
15. आवश्यकता पडने पर वाहन चालक को राजपत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। यदि वाहन चालक उपलब्ध नहीं होता तो बोलीदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध करवाना होगा। इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
16. वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा/रजिट्रेशन/प्रदूषण/वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो वैधानिक रूप से आवश्यक है) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिये।
17. मण्डल के वाहन में किसी भी प्रकार की टूट–फूट होने या दुर्घटना होने पर सम्बन्धित व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

18. वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या चालान होने पर बोलीदाता का ही उत्तरदायित्व होगा एवं मण्डल उसका किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं देगा।
19. मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए वाहन चालक को हटा सकता है।
20. वाहन चालक द्वारा मण्डल के वाहन का पूर्ण रखरखाव, साफ–सफाई आदि का कार्य प्रतिदिन किया जायेगा।

दिनांक:–

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर

नामः मैसर्स..

पताः ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
एस.पी.एल.–2, पंचम चरण, रीको आद्योगिक क्षेत्र, मदनगंज–किशनगढ़, (अजमेर)
Email address-rorpcb.kishangarh@gmail.com

–: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ट नियम एवं शर्तें:–

1. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा।
3. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
4. निविदादाता के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
5. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
6. चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. किशनगढ़ का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।
9. सभी विवादों को न्यायिक क्षेत्र, किशनगढ़ न्यायालय ही रहेगा।
10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घटाने/बढ़ाने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. किशनगढ़ के पास सुरक्षित रहेगा।
11. राज्य सरकार द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
किशनगढ़